



## सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 17.05.2026

### #CRACKDOWN

- इटावा पुलिस एवं बदमाश के बीच मुठभेड़ ।
- अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुए इटावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।
- कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद ।

पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

### घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशों के क्रम में दिनांक 17.05.2026 को थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति इटावा में फायरिंग करते हुये मोटरसाइकिल से इटावा की तरफ आ रहा है । सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा डीएफसी रेलवे लाइन के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जाने लगी । कुछ समय पश्चात 01 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति इटावा की तरफ से आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति इटावा से इटावा की तरफ आने वाले मार्ग पर बने डीएफसी पुल के बायी ओर कच्चे रास्ते पर भागने लगा । पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये अभियुक्त का पीछा किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त रोहित उर्फ लुक्का पुत्र अभिलाख के दाहिने पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

घायल अभियुक्त रोहित उर्फ लुक्का को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया ।

उक्त गिरफ्तारी, बरामदगी और पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना फ्रेण्ड्स कोलनी पर मु0अ0सं0 133/26 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवीएक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. रोहित उर्फ लुक्का पुत्र अभिलाख निवासी ग्राम कोकपुरा थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा उम्र करीब 26 वर्ष ।

**नोट:- अभियुक्त रोहित उर्फ लुक्का पुत्र अभिलाख शातिर किस्म का आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी एवं अवैध शराब तस्करी आदि से संबंधित कुल 15 अभियोग पंजीकृत है।**

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 133/26 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

### आपराधिक इतिहास-

#### **रोहित उर्फ लुक्का पुत्र अभिलाख**

1. मु0अ0सं0 - 181/2020 धारा 401 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 - 183/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 - 297/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 - 383/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 - 31/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
6. मु0अ0सं0 - 258/2023 धारा 380/411/413 भादवि थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
7. मु0अ0सं0 - 309/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 313/317(2) बीएनएस थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
8. मु0अ0सं0 - 86/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।
9. मु0अ0सं0 - 78/2022 धारा 307 भादवि थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी।
10. मु0अ0सं0 - 79/2022 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी।
11. मु0अ0सं0 - 336/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना किशानी जनपद मैनपुरी।
12. मु0अ0सं0 - 519/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैथरा जनपद एटा।
13. मु0अ0सं0 - 60/2024 धारा 305ए/317(20/331(4) बीएनएस थाना घाटमपुर कानपुर कमिश्नेट।
14. मु0अ0सं0 - 07/2025 धारा 305ए/317(20/331(4) बीएनएस थाना घाटमपुर कानपुर कमिश्नेट।
15. मु0अ0सं0 133/26 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

### बराहदगी:-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर,
2. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर,
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 मोटर साइकिल बजाज सीटी 100 (**घटना मे प्रयुक्त**)

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष फ्रेण्ड्स कॉलोनी श्री अमित मिश्रा मय टीम।